प्रेषक,

संख्याः 666/XXIV-3/17/02(74)2016

महिमा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3

देहरादून, दिनांकः 30 मई, 2017

विषयः राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों के वेतन भुगतान हेतु अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक अर्थ–1/1496/5क–1/(09)/2017–18, दिनांकः 19 अप्रैल, 2017 एवं पत्रांक अर्थ–1/2574/5क–1/(09)/2017–18, दिनांकः 02 मई, 2017 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्याः 64/xxiv–3/15/02(115–II) 2011, दिनांकः 04 फरवरी 2015 के क्रम में अवगत कराया जाना है कि राज्य में केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत उच्चीकृत/संचालित विद्यालयों में कार्यरत् प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों के वेतन की धनराशि 90%: 10% के अनुपात में आवंटित/स्वीकृत की जाती है। राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त शासनादेश दिनांकः 04 फरवरी, 2015 द्वारा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वेतन के आधार पर निर्धारित केन्द्रांश एवं राज्यांश की प्रदान की जाने वाली धनराशि में राज्य सरकार द्वारा देय राज्यांश की 10% की निर्धारित धनराशि के अतिरिक्त वास्तविक वेतन की धनराशि का व्यय वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. भारत सरकार द्वारा पत्र सं0 F.1-12/2017-RMSA-III दिनांकः 12 अप्रैल 2016 द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के आवर्ती मद में कुल रू0 10770.06 लाख (MMER सहित) वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट अनुमोदित किया गया है ,जिसमें वेतन आदि के लिए प्रति प्रधानाध्यापक रू0 59382/– तथा प्रति सहायक अध्यापक को रू0 47536/–प्रतिमाह की दर से धनराशि अनुमोदित की गई है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्चीकृत/संचालित विद्यालयों में अद्यतन कार्यरत प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों के वेतन की वास्तविक धनराशि का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु अनुदान सं0–11 के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट 'अ' की तालिका के स्तम्भ–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक के आधार पर स्तम्भ–2 के मानक मदों में स्तम्भ–3 के अनुसार लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि में से स्तम्भ–4 में उल्लिखित केन्द्रांश एवं स्तम्भ–5 के अनुसार राज्यांश तथा स्तम्भ–6 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि सहित स्तम्भ–7 के अनुसार कुल वेतन की **रूपये 2747.68 लाख (रूपये सत्ताईस करोड़ सैंतालीस लाख अड़सठ हजार मात्र)** की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 312/3(150)/**XXVII**(1)/2016, दिनांक 31 मार्च, 2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2013, दिनांकः 28 मार्च, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार धनराशि का पृथक आवंटन/अलाटमेंट आई0डी0 के अंतर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। आवश्यक धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि भारत सरकार के उपरोक्त पत्रों में प्रदत्त निर्देशों/प्रतिबन्धों के अनुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में स्वीकृत कुल धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के अनुरूप अनुमन्य मदों पर किया जायेगा।
(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
(5) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/**XIV**–219(2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
(6) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों/शर्तों के आलोक में शासन के वर्तमान वित्तीय व प्रशासकीय नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
(7) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
(8) किसी भी शासकीय व्यय हेतु जहां कही आवश्यक हो, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन अधिनियम) वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्यय संबंधी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
(9) यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैन्यूवल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
(10) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशष रूप से पालन किया जायेगा।
(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपयोग के पश्चात् स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
(12) भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् राज्य के राजकोष में धनराशि का समायोजन किया जायेगा।

4– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 11 राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 02–माध्यमिक शिक्षा, 109– राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाऐं, 0103–राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः19(म0)/XXVII(3)2017-18 ,दिनांकः 25.05.2017 में प्राप्त सहमति के कम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीया,

(महिमा)
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 666/XXIV-3/17/02(74)2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. **महालेखाकार**, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,उत्तराखण्ड, देहरादून
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

7. बज़ट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
8. वित्त विभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं 23–लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव।

शासनादेश सं0: 666/XXIV-3/17/02(74)2016, दिनांक: 30 मई, 2017 का संलग्नक:–

अनुदान सं0—11 राजस्व

(रू0लाख में)

लेखा शीर्षक	मानक मद	बजट प्राविधान	केन्द्रांश	राज्यांश	राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त वहन की जाने वाली धनराशि	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि
1.	2	3	4	5	6	7
2202—सामान्य शिक्षा 02—माध्यमिक शिक्षा 109—राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 01—केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 0103—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA 90प्रतिशत के0स0)(2202028000109 से स्थानान्तरित)	01—वेतन	2482.85	1838.38	204.26	440.21	2482.85
	03—महंगाई भत्ता	148.97	110.30	12.26	26.41	148.97
	06—अन्य भत्ते	115.86	85.79	9.53	20.54	115.86
	योग—	2747.68	2034.47	226.05	487.16	2747.68

कुल स्वीकृत धनराशि— रू0 2747.68 लाख (रूपये सत्ताईस करोड़ सैंतालीस लाख अड़सठ हजार मात्र।)

(महिमा)
उप सचिव।